2017/00463

तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्री कालूराम पुत्र मोहनराम गर्ग निवासी माण्डेलिया पोस्ट चिताणा तहसील नोखा जिला बीकानेर : ब ना म : लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, बीकानेर किस्म मुकदमा प्रथम सूचना अपील संख्या 255/17 (अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई.एक्ट)	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

: निर्णय :

13.12.17

1. अपीलार्थी हाजिर नहीं। विभागीय प्रतिनिधि की पूर्व पेशी पर बहस सुनी गई।

2. अपीलार्थी ने अपने अपील के संलग्न आवेदन–पत्र दिनांक 06.09.17 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, बीकानेर से चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।

3. लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी, बीकानेर के प्रतिनिधि द्वारा पत्रांक 515 दिनांक 26.10.17 में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड सारूण्डा के बी.पी.एल., स्टेट बी.पी.एल., ए.पी.एल. एवं अन्त्योदय योजना वर्ष एवं माह अंकित नहीं किया है, तथा 10/– रूपये का पोस्टल ऑर्डर/बी.पी.एल. कार्ड संलग्न नहीं किया है। इस कारण आवेदन–पत्र खारिज करते हुए पत्र संख्या 516 दिनांक 26.10.17 से अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त फरमाई जावे।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी, बीकानेर द्वारा प्रार्थी/अपीलान्ट को प्रेषित जवाब के विपरीत अपीलान्ट की और से किसी प्रकार की आपति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है, ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह निष्कर्ष निकाला जाना उचित होगा कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है।

5. अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

6. निर्णय आज दिनांक 13.12.17 को लिखाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल गुप्ता)
प्रथम सूचना अपील अधिकारी
एवं जिला कलक्टर, बीकानेर

प्रथम सूचना अपील अधिकारी
एवं जिला कलक्टर, बीकानेर